

No.CWC/B&C/ED/7(1)(e)/2025-26

16th January, 2026

सेवा में, To,

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सचिव, भंडारण निगम अधिनियम 1962 की धारा 7 (1) (e) के अंतर्गत पंजीकृत सभी अंशधारी

The Chairman/ Managing Director/Secretary, all Shareholders registered under section 7(1) (e) of the Warehousing Corporations Act 1962.

विषय:- भंडारण निगम अधिनियम 1962 की धारा 7 (1) (e) के अंतर्गत पंजीकृत अंशधारी संस्थाओं अर्थात् सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक का चुनाव

Subject:- Election of Director under section 7(1) (e) of the Warehousing Corporations Act, 1962 representing Co-operative Societies

आदरणीय महोदय/महोदया
Respected Sir/Madam,

यह सूचित किया जाता है कि श्री बिपिनभाई नारणभाई पटेल, पुत्र श्री नारणभाई पटेल, निवासी पटेल वास, 118-1, गोता गाम : तालुक दसकोरी, जिला अहमदाबाद, गुजरात-382481 का भंडारण निगम अधिनियम 1962 की धारा 7(1)(ई)के अंतर्गत केंद्रीय भंडारण निगम में पंजीकृत अंशधारी संस्थाओं अर्थात् सहकारी समितियों के निदेशक के पद पर तीन वर्ष के लिए, दिनांक 06.02.2026 से 05.02.2029 तक निर्विरोध चयन किया गया है। अतः दिनांक 06.02.2026 को होने वाली चुनाव बैठक निरस्त की जाती है।

It is to inform that Shri Bipinbhai Naranbhai Patel, S/O Shri Naranbhai Patel, resident of Patel Vas, At 118-1 Gota Gam, Tal :-Daskroi ,District-Ahmedabad ,Gujarat-382481 is elected unopposed as Director on the Board of Central Warehousing Corporation representing Co-operative Societies under section 7(1) (e) of the Warehousing Corporations Act, 1962 for a period of three years w.e.f. 06.02.2026 to 05.02.2029. As such the election meeting scheduled to be held on 06.02.2026 has been cancelled.

कृपया यह आपको सूचनार्थ है।

This is for information please.

भवदीया/ Yours faithfully,



(जैस्सी जैकब /Jessy Jacob)
सचिव/ Secretary